

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2020/772

दिनांक : 28.08.2020

// अत्यावश्यक //

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्वनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय :- स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित/स्वाध्यायी) की परीक्षाओं के संचालन (कोविड-19) के संबंध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ:- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/770/2020/38-3/भोपाल, दिनांक 13.08.2020 एवं क्रमांक 811/969/2020/38/शा.-3 भोपाल दिनांक 26.08.2020


महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित/स्वाध्यायी) की परीक्षाओं के संचालन (कोविड-19) के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। कृपया महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं के संचालन के दौरान उपरोक्त संलग्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें एवं महाविद्यालय स्तर पर भी परीक्षार्थियों को अवगत करायें।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. अतिरिक्त संचालक, (उच्च शिक्षा), मोती महल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. केन्द्राध्यक्ष, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. प्रभारी, केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
7. उप/सहा0-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
8. प्रभारी, एम.पी. ऑनलाईन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
9. प्रभारी, आई.टी. सैल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
10. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
11. कुलसचिव महोदय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।



उप - कुलसचिव (परीक्षा/गोप0)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा
वल्लभ भवन, मंत्रालय-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक- 13/08/2020.

क्रमांक- एफ ~~77~~ /2020/38-3 :: कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश दिनांक 29/04/2020 तथा 08/07/2020 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/07/2020 को जारी मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं -

1. स्नातक प्रथम वर्ष (नियमित) के लिए निर्देश : स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार अंक मानते हुए 100 प्रतिशत मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाए। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में ही संधारित की जाएंगी।
 2. स्नातक प्रथम वर्ष (स्वाध्यायी) के लिए निर्देश : स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त स्वाध्यायी (प्रायवेट) परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिन्दु क्रमांक-04 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
 3. स्नातक द्वितीय वर्ष (नियमित)/स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (नियमित) के लिए निर्देश : स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष/सेमेस्टर के विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आगामी वर्ष/ सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए।
 4. स्नातक द्वितीय वर्ष (स्वाध्यायी)/स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (स्वाध्यायी) के लिए निर्देश : प्रदेश में महाविद्यालयवार स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की ही तरह असाइनमेन्ट प्राप्त कर, मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।
1. असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण एवं प्रेषण : स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रप्रेषण केन्द्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न का चयन कर महाविद्यालयों के पोर्टल पर कक्षावार, विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार अपलोड किया जाए। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को स्मार्ट फोन/ ई-मेल पर प्रश्न पत्र भेजना भी सुनिश्चित किया जाए।

इस आशय की सूचना समस्त संबंधित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीकृत मोबाइल/ई-मेल आईडी पर प्रेषित की जाए। संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही महाविद्यालय के प्राचार्य की मॉनिटरिंग/निगरानी में सुनिश्चित की जाए।

- ii. **असाइनमेन्ट जमा करना** : स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थी निकट के किसी भी उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र में असाइनमेंट जमा कर सकेंगे। असाइनमेन्ट जमा करने के लिए विश्वविद्यालयवार समय-सारणी जारी की जाएगी। ओपन बुक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के साथ ही असाइनमेन्ट जमा करने की समय-सारणी घोषित की जाए।
- iii. **मूल्यांकन पद्धति** : अग्रणी महाविद्यालय में एकत्रित असाइनमेन्ट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की निगरानी में अग्रेषण केन्द्रवार बन्डल बनाकर संबंधित अग्रेषण केन्द्र को प्रेषित किये जाएंगे। संबंधित अग्रेषण केन्द्र के प्राचार्य विषय के शिक्षक से मूल्यांकन कराकर प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यह सम्पूर्ण कार्यवाही प्राचार्य, अग्रेषण केन्द्र की मॉनिटरिंग/ निगरानी में पूर्ण की जाए।
- iv. **परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति** : विश्वविद्यालयवार असाइनमेन्ट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के गत वर्ष के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान असाइनमेन्ट का 50 प्रतिशत जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
- v. **असाइनमेन्ट का संधारण** : स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाइनमेन्ट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केन्द्र में किया जाएगा।

5. **स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित तथा स्वाध्यायी) के लिए निर्देश** : समस्त विश्वविद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित तथा स्वाध्यायी) की **शेष रह गई परीक्षाएं** आयोजित की जाएंगी। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड एस.आई.एस. (Student Info System)/निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब (Open Book) परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे।

- i. **प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश** : समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के लिए माह अगस्त 2020 में शेष रह गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाए। (उदाहरणार्थ - रसायन शास्त्र विषय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र तीन खण्डों में एक साथ तैयार किये जाएंगे)
- ii. **परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का प्रेषण** : विश्वविद्यालयवार स्नातक अंतिम वर्ष /स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए घोषित समय सारणी अनुसार परीक्षार्थियों को



